इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 16 जनवरी 2025—पौष 26, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2025

क्र. 1171–7–इक्कीस–अ (प्रा.).– मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 15 जनवरी 2025 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत कुमार व्यास, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ४ सन् २०२५

मध्यप्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२४

[दिनांक १५ जनवरी, २०२५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १६ जनवरी, २०२५ को प्रथमवार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२४ है. संक्षिप्त नाम.

२. नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा ४३क में, उपधारा (१) में,- धारा ४३क का संशोधन.

(क) प्रारंभिक पैरा में, शब्द "दो तिहाई" के स्थान पर, शब्द "तीन चौथाई" स्थापित किए जाएं.

Scanned with OKEN Scanner

(ख) परन्तुक के खण्ड (एक) में, शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर, शब्द "तीन वर्ष" स्थापित किए जाएं.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

३. (१) मध्यप्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२४ (क्रमांक ४ सन् २०२४) एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2025

क्र. 1171–7–इक्कीस–अ (प्रा.).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2024 (क्रमांक 4 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत कुमार व्यास, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 4 OF 2025

THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES (SECOND AMENDMENT) ACT, 2024

[Received the assent of the Governor on the 15th January, 2025; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 16th January, 2025.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-fifth year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Municipalities (Second Amendment) Act, 2024.

Amendment of Section 43-A.

2. In Section 43-A of the Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), in sub-section (1),-

(a) in the opening paragraph, for the words "two thirds" the words "three fourths" shall be substituted;

(b) in clause (i) of the proviso, for the words "two years", the words "three years" shall be substituted;

Repeal and saving.

3. (1) The Madhya Pradesh Municipalities (Second Amendment) Ordinance, 2024 (No. 4 of 2024) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2025.

Scanned with OKEN Scanner